Navbharat Times Edition Delhi
8.1.2017 Page 10
Height 45.97cm Width 35.03 cm

आधार का मतलब

यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलेपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की ओर से हर नागरिक को जारी किया जाने वाला एक खास नंबर है।

12 अंकों का यूनिक नंबर हर नागरिक का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है।

जिंदगी में एक बार आधार रिजिस्ट्रेशन करा कर नंबर लेना होता है।

इंसान की डेमोग्राफिक (जनसंख्या संबंधी) और बायोमेट्रिक (उंगलियां, अंगूठा और आंख की पहचान) जानकारी ली जाती हैं।

कौन बनवा सकता है

देश का कोई भी नागरिक तय डॉक्युमेंट्स पेश करके बनवा सकता है।

आधार के लिए साल भर में कभी भी आवेदन किया जा सकता है।

नवजात शिशु का भी आधार कार्ड बन सकता है।

नवजात के मामले में बायोमेट्रिक्स की जरूरत 5 साल की उम्र के बाद पड़ती है।

फीस

आधार कार्ड बनवाने की कोई फीस नहीं है।

₹25

की अधिकतम फीस निर्धारित की है UIDAI ने जिम्मेदार एजेंसी को प्लास्टिक के कार्ड बनाने के लिए

जरूरी डॉक्युमेंट्स

दो तरह के डॉक्युमेंट चाहिए

1 फोटो पहचान पत्र

2 पते का प्रमाण

इनमें से कोई 2 लेकर जाएं

पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन/ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के फोटो कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, फोटो वाले डेबिट/ क्रेडिट कार्ड, पेंशनभोगी फोटो कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड, किसान फोटो पासबुक, CGHS / ECHS फोटो कार्ड, गजेटेड ऑफिसर या तहसीलदार द्वारा लेटरहेड पर जारी किए गए फोटो की पहचान वाले प्रमाणपत्र, विकलांगता पहचानपत्र / संबंधित राज्य / संघ शासित सरकारों / प्रशासनों द्वारा जारी किए गए विकलांग चिकित्सा प्रमाण पत्र, बिजली बिल, पानी बिल, टेलिफोन का बिल या संपत्ति कर रसीद, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, गैस कनेक्शन बिल (3 महीने से ज्यादा पुराना न हो), रजिस्टर्ड बिक्री / लीज / रेंट के एग्रीमेंट

अगर ये भी उपलब्ध न हों तो परिवार में जिसका आधार पहले से बना हुआ है, वह आपके फॉर्म को वेरिफाई कर सकता है।

फोटो सेंटर पर ही खींचा जाता है

रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद जरूरत पड़ने पर ठीक भी कर सकते हैं

कितने दिन में मिलेगा कार्ड

2-3

महीनों में घर के पते पर डिलिवर हो जाता है सामान्य प्रक्रिया में

॥कलियुग केवल नाम आधारा॥

मोबाइल नंबर के लिए आधार, पासपोर्ट के लिए आधार, पेमेंट के लिए आधार, सब्सिडी के लिए आधार और बैंक अकाउंट के लिए भी आधार.... यहां तक कि एग्जाम में बैठने के लिए भी आधार जरूरी है। ऐसे में अगर अब भी आपने आधार नहीं बनवाया तो रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो सकती है। आधार के बारे में विस्तार से बता रहे हैं अमित मिश्राः

क्या है आधार

12 डिजिट का एक नंबर

हरेक के लिए एक पहचान

रेजिडेंस प्रूफ

नाम-पता और बायोमैट्रिक्स इंफॉर्मेशन का आकड़ा

कई दूसरे आईकार्ड की तरह ही एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर

ये नहीं है आधार

एक कार्ड

पूरे घर पर एक कार्ड

नागरिकता का प्रमाणपत्र

बाकी आईडी का विकल्प

जाति-धर्म या भाषा के आधार पर आकड़ा

ऐसे लोगों के लिए जो किसी तरह का आईडी पहले से रखते हैं

बार-बार बनवाया जा सकता है

आधार न बनवाया तो...

- आधार कार्ड नहीं बनवाया तो सरकारी सेवाएं मिलने में परेशानी होगी क्योंकि बाकी दस्तावेजों के साथ ज्यादातर सरकारी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी है।
- इसके अलावा धीरे-धीरे टेलिकॉम और दूसरी प्राइवेट कंपनियां भी आधार बेस वेरिफिकेशन को अपना रही हैं इसलिए बेहतर होगा कि आधार बनवा लें।

अगर रह गए हैं आधार बनवाने से

अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो अपने इलाके के डीसी (डिप्टी कमिश्नर) या डीएम (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) ऑफिस (इनका पता resident.uidai.net.in/get-enroled पर देखें) में जाकर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। डीसी ऑफिस में किसी भी काम के दिन जाकर आधार बनवाया जा सकता है।

पब्लिक डीलिंग टाइम

9:30- 5:00 बजे तक बनाया जाता है डीसी ऑफिसों में आधार कार्ड

लंच **1:00- 2:00**

छुट्टी: हर रविवार और महीने के दूसरे शनिवार (हर राज्य में अलग-अलग) को बंद

कैसे मिलेगा कार्ड

कार्ड भेजने की जिम्मेदारी पोस्टल डिपार्टमेंट की होती है

आधार आपके द्वारा दर्ज कराए पते पर डाक से आएगा या सेंटर पर जाकर आप खुद भी ला सकते हैं।

कार्ड न मिले तो

आधार कार्ड बनने में 2-3 महीने का वक्त लग जाता है

इस टाइम में न बने तो स्लिप लेकर डीसी ऑफिस में जा सकते हैं

कोई भी शिकायत हो तो इन्हीं सेंटर में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

पहले से आधार कार्ड है तो...

आधार कार्ड मिलते ही आधार कार्ड नंबर कहीं डायरी में लिख लें, उसकी फोटो कॉपी करा कर रख लें

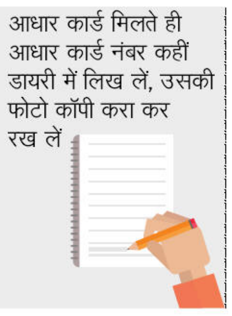

अगर आधार कार्ड खो जाए तो आप यूआईडी की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार कार्ड का नंबर डालें और प्रिंटर के जरिए खुद आधार कार्ड प्रिंट कर लें।

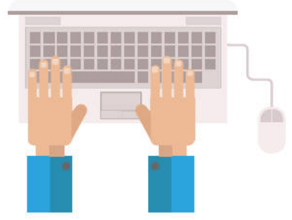

डीसी ऑफिस जाकर भी नंबर के जरिए अपना आधार कार्ड प्रिंट करा सकते हैं।

करेक्शन या पता बदलने पर

अगर आधार में किसी तरह का बदलाव करवाना है तो इसके लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं।

ऑनलाइन

resident.uidai.net.in/update-data पर जाकर मनचाही जानकारी बदली जा सकती है।

सबसे पहले साइट पर अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगइन करें।

जब भी जानकारी बदलेंगे तो वन टाइम पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा और इसे डालने पर ही करेक्शन की रिक्वेस्ट स्वीकार की जाएगी।

करेक्शन होने पर आधार का प्रिंट वेबसाइट से ही निकाला जा सकता है।

ऑफलाइन

इसके लिए **resident.uidai.net.in/update-data** पर मौजूद एक फॉर्म का प्रिंट निकाल कर उसे भरने के बाद नीचे दिए गए किसी एक पते पर भेज दें।

UIDAI
Post Box No. 10, Chhindwara,
Madhya Pradesh - 480001, India

Post Box No. 99, Banjara Hills,
Hyderabad - 500034,
India

आधार के फायदे

- कोई भी ऐसा काम, जिसमें पहचान की जरूरत होती है, इस कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है।
- आपकी पहचान ऑनलाइन हो जाती है।
- इस कार्ड के जरिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आसान हो जाती है।
- बार-बार आपको आई कार्ड और रेजिडेंस प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।
- प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है।
- ईपीएफओ द्वारा संचालित ईपीएफ योजना के तहत फायदा पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है।
- छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप भी आधार कार्ड के जरिए दी जाएगी।
- जेईई (मेन) में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आधार का होना जरूरी कर दिया गया है। इसके बिना वे एग्जाम नहीं दे सकते।
- लाइसेंस बनवाने, कार के रजिस्ट्रेशन व मोबाइल नंबर के लिए भी यह कार्ड जरूरी होगा।
- आधार से बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं।
- इस कार्ड को कोई और मिसयूज नहीं कर सकता है, जबकि राशन कार्ड या किसी अन्य आईडी प्रूफ के साथ कोई शख्स भी फजीर्वाड़ा कर सकता है।

आधार ऐप से होंगी मुश्किलें आसान

भीम ऐप के बाद अब बारी है आधार ऐप की जो इसी महीने लॉन्च हो जाएगा। इसे सरकार पेमेंट के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख देने वाले कदम के रूप में देख रही है।

क्या है खासियत

इसके लिए पेमेंट करने वाले को किसी भी तरह के मोबाइल की जरूरत नहीं होगी।

सिर्फ आधार नंबर और बायोमैट्रिक पहचान के सहारे पेमेंट हो सकेगा। इसके लिए अंगूठे और आइरिस का इस्तेमाल होगा।

हर तरह के पेमेंट की जानकारी अलर्ट के जरिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलती रहेगी।

कैसे काम करेगा आधार ऐप

इसके लिए दुकानदार को स्मार्टफोन और उसके साथ बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदनी होगी

₹1500-2000 तक होगी इसकी कीमत। यह डिवाइस सरकार द्वारा तय दुकानों पर मिलेगी।

स्मार्टफोन में यूएसबी के जरिए बायोमैट्रिक डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी। इस डिवाइस में उंगली या आइरिस स्कैन करने के लिए एक स्कैनर होगा। फिलहाल पहले से जिन डिवाइसेज में आइरिस या फिंगरप्रिंट स्कैनर है उससे स्कैन करना मुमकिन नहीं होगा।

दुकानदार को अपने स्मार्टफोन में आधार ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप में लॉगइन करने के लिए मोबाइल में वह सिम कार्ड होना चाहिए जिसका नंबर आधार और बैंक खाते से कनेक्ट हो।

जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहता है उस अकाउंट का आधार से लिंक होना जरूरी

हर सवाल जरूरी है

आधार कार्ड के लिए मोबाइल नंबर और ई-मेल नंबर देंने की क्या जरूरत है?

- आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त मोबाइल नंबर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मोबाइल पर एसएमएस के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती रहती है। इसके अलावा आधार ऐप पर किए जाने वाले ट्रांजेक्शन की जानकारी भी आपको मिलती रहती है।
- इसी तरह ई-मेल आईडी देने से आपको मेल पर सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी लगातार मिलेगी।
- वैसे, मोबाइल और ई-मेल को आप आधार कार्ड बन जाने के बाद भी जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको मैनुअल या ऑनलाइन एंट्री करानी होगी।

मेरा आधार बना या नहीं कैसे जानूं?

आधार कार्ड पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 14 डिजिट का एक एनरॉलमेंट नंबर एक स्लिप पर दिया जाता है, जिससे आप अपने आधार कार्ड बनने का स्टेटस जान सकते हैं।

इसके लिए आपने जो मोबाइल नंबर फॉर्म में दर्ज कराया है, उसके जरिए मेसेज बॉक्स में UID स्पेस status लिखने के बाद स्पेस देकर अपना 14 डिजिट का एनरॉलमेंट नंबर लिखें और 51969 पर भेजें। इस तरह से आप कभी भी अपने आधार का स्टेटस जान सकते हैं।

आधार कार्ड बन जाने पर उसका नंबर आपको मेसेज बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कार्ड बनने में कोई समस्या है तो इसकी सूचना भी आपको तकरीबन 20 दिनों में मेसेज या मेल से मिल जाएगी।

वेबसाइट uidai.gov.in से भी स्टेटस जान सकते हैं। इस साइट पर राइट साइड में Check Your Aadhaar Status पर क्लिक करें।

अगर आधार बन कर न आए और स्टेटस सर्च में भी न दिखाए तो क्या करें?

ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि आधार बनवाने वाले सेंटर पर जाएं। वहां पर अडवांस मौजूद कंप्यूटर पर अडवांस सर्च के जरिए आपके रजिस्ट्रेशन का सही स्टेटस पता करके जरूरत पड़ने पर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं।

मैं बैंक से आधार को कैसे जोड़ सकता हूं?

- अपने आधार के बैंक अकाउंट से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आधार कार्ड की कॉपी के साथ बैंक में उपलब्ध आधार लिंक फॉर्म को भर कर सबमिट कर दें।
- इसके अलावा नेटबैंकिंग के जरिए भी 'लिंक आधार कार्ड डिटेल्स' के ऑप्शन में जाकर भी आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करवाया जा सकता है। जैसे ही लिंक होने की प्रक्रिया पूरी होगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इसका मेसेज आ जाएगा।
- आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ जुड़ गया है या नहीं यह पता करने के लिए उपभोक्ता अपने मोबाइल पर *99*99# डायल करें।
- इसके बाद 12 डिजिट का आधार नंबर डालें और ओके करें।
- आधार नंबर सही है यह पुष्टि करने के लिए 1 डायल करें।
- इसके बाद मोबाइल पर आधार कार्ड के बैंक से जुड़े होने की जानकारी मिल जाएगी।
- इस मैसेज में यह भी बताया जाएगा कि किस बैंक से किस तारीख को आधार कार्ड लिंक हुआ है।
- बैंक अकाउंट लिंक कराने से सरकारी स्कीम की रकम सीधे आपके अकाउंट में भेजी जा सकेगी।
- अगर आप सरकार के साथ बिजनेस करते हैं और आपकी राशि सरकारी एजेंसी पर बकाया है तो आपके अकाउंट में सीधा पैसा भेजा जा सकेगा।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर बस आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है, लिंक करने का काम अथॉरिटी करेगा।
- आधार कार्ड के साथ आप जितने चाहें बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। हालांकि सब्सिडी उस अकाउंट में ही आएगी जिसे आप अकाउंट के कनेक्ट करने के लिए आप बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे।

आधार से कितने बैंक अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं?

इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन सब्सिडी किस अकाउंट में आएगी, यह आपको खुद तय करना होगा।

मैंने आधार के जरिए मोबाइल फोन कनेक्शन लिया है। क्या मेरा यह नया नंबर आधार से खुद-ब-खुद कनेक्ट हो जाएगा?

जी नहीं, आपको कौन-सा नंबर आधार से कनेक्ट करवाना है इसका चुनाव आपको ही करना है।

क्या आधार मेरी जानकारी इनकम टैक्स या ऐसी ही किसी एजेंसी के साथ भी शेयर करती है?

जी नहीं, ऐसी कोई भी जानकारी अथॉरिटी किसी के साथ शेयर नहीं करती। अगर कानूनी रास्ते के जरिए उससे किसी भी तरह की जानकारी मांगी जाती है तो वह उसे शेयर करने के लिए मजबूर है।

आधार ऐप में दुकानदार जो डेटा इकट्ठा कर लेगा उसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा है?

जिन बायोमैट्रिक डिवाइसेज को सरकार इस्तेमाल करने के लिए वेरिफाई कर रही है वो पूरी तरह एनक्रिप्टेड (गुप्त) हैं। ऐप तक पहुंचते ही डाटा ऐसे कोड में बदल जाता है जिसे सिर्फ यूआईडीएआई ही देख सकता है।

किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन के फेल हो जाने या अकाउंट से गलत ट्रांसफर के लिए कौन जिम्मेदार होगा?

आधार सिर्फ एक यूनिक पहचान उपलब्ध करवाने वाली एजेंसी है। पैसों के लेन-देन में किसी भी तरह की पड़ताल आपका संबंधित बैंक करेगा।